तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज़
	जोन का निवेदन किया। वकील वादी / अप्रार्थी ने बहस में अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया और कहा कि दिनांक 30/9/22 को प्रतिवादीगण कि ओर से कोई उपस्थित नही होने के कारण एक पक्षीय कार्य वाही अमल में लाई गई तथा गवाह वादी बयान लेखबद्ध करने के पश्चात बहस वादी पत्रावली सुन बाद प्रार्थी के पक्ष से डिक्री किया गया जो कानूनन सही है प्रार्थीगण / प्रतिवादीगण जानबूझ कर नियत दिनांक 30/9/22 को उपस्थित नही हुये और उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादी ने अपने समर्थन में आर आर डी 2011 (1) पेज 105 राधेश्याम बनाम यडगुर्जर बगैरा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर कि नजीर पेश कि जिसमे- "राजस्व मण्डल अजमेर ने प्रतिपादित किया कि जवाब दावा पेश करने हेतु प्रार्थी को कई अवसर दिया और प्रार्थी कि ओर से नियत दिनांक 2 को कोई हाजिर नही हुआ और उनकी एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई आदेश में कोई त्रुटि नही। निगरानी खारिज कि।" पत्रावली का अवलोकन किया गया बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 जा०दी० खारिज किया जाता है तथा वाद अन्तिम रूप से मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट दिनांक 7.11.22 के अनुसार डिक्री किया जाता है पत्रावली पर नियम प्रपत्र के लिए रखी जावे [illegible] कि [illegible] पत्रावली [illegible] होवे [illegible] है बाद तकमील [illegible] जिला लेख मण्डल हो सुनाया उपखण्ड अधिकारी [illegible] (अलवर) राज०

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री लाखनसिंह गुर्जर आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1 / 284 / 2021

वउनवान

1. शिवप्रकाश पुत्र गोपी जाति जाट निवासी भरीथल तहसील कठूमर जिला अलवर

——— वादी

बनाम

1. हाकमसिंह पुत्र रोशन जाति जाट निवासी भरीथल
2. दीवानसिंह पुत्र रोशन जाति जाट निवासी भरीथल
3. शिवदयाल पुत्र रोशन जाति जाट निवासी भरीथल
4. महेश पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी भरीथल
5. महेन्द्र पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी भरीथल तहसील कठूमर जिला अलवर
6. उप पंजीयक कठूमर तहसील कठूमर जिला अलवर
7. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार कठूमर (लैण्ड होल्डर)

——— प्रतिवादीगण

दावा तकसीम व हुक्मइन्तनाई दवामी

उपस्थित :–

श्री धनश्याम शर्मा –अधिवक्ता वादी की ओर से

निर्णय दिनांक 24.04.2023

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद तकसीम व हुक्मइन्तनाई दवामी के संक्षिप्त तथ्य के इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 395 रकवा 0.67 हे. 189 रकवा 0.25 हे. 388 रकवा 0.66 हे. 389 रकवा 0.96 हे. 409 रकवा 1.11 हे. 448 रकवा 0.53 हे. 453 रकवा 0.91 हे. ग्राम भरीथल तहसील कठूमर में स्थित है। उक्त आराजी वादी एंव प्रतिवादीगण की शामलात कब्जे काश्त खातेदारी में दर्ज रेकार्ड आराजी है। उक्त आराजी का अभी कानूनी तकासमा नहीं हुआ है। विवादित आराजी वादी एंव प्रतिवादीगण की शामलात कब्जे काश्त खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है। लगान सरकारी शामलात में अदा कर रहे है। अव पक्षकारान के मध्य शामलात काश्त करने में आपस में झगडा होते रहते है। प्रतिवादीगण विवादित आराजी में शामलात में काश्त करने में रूचि नहीं लेते है इस वजह से कम पैदा होती है। वादी विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराना चाहता है। वादी ने प्रतिवादीगण से विवादित आराजी के कानूनी तकासमा वावत कहा तो प्रतिवादीगण ने साफ इन्कार कर दिया। अतः वादी ने विवादित आराजी का अच्छी में से अच्छी व वुरीं में से वुरी आराजी का तकासमा कराने व मुताविक अनुतोष डिकी किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से श्री थानसिंह कर्दम अधिवक्ता हाजिर आये। जवाव को कई मौके दिये गये। दिनांक 30.09.2022 को प्रतिवादीगण व अधिवक्ता प्रतिवादीगण हाजिर अदालत नहीं आये। प्रतिवादीगण के विरूद्व दिनांक 30.09.2022 को एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड गवाहान के वयान के अवलोकन तथा विद्वान अधिवक्ता वादी की एकपक्षिय वहस पर मनन करने पर दावा वादी दिनांक 18.10.2022 को प्रारम्भिक रूप से डिकी किया जाकर तहसीलदार कठूमर को विवादित आराजी का पक्षकारान की मौजूदगी में कानूनी

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

तकासमा कर विधिनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अदालत हाजा में पेश करने के आदेश दिये गये। तहसीलदार कठूमर ने आदेश की पालना मे विवादित आराजी वावत कुरेजात रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) तैयार कर हाजिर अदालत होकर दिनांक 07.11. 2022 को पेश की है जो शामिल पत्रावली है।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत रेकार्ड कुरेजात रिपोर्ट तहसीलदार कठूमर का अवलोकन किया व वहस वकुलाय सुनी गई। तहसीलदार कठूमर ने अपनी कुरेजात रिपोर्ट में आराजी खसरा नम्बर 395/1 तरफ उत्तर रकवा 0.1675 हे. 388/2 तरफ दक्षिण रकवा 0.3683 हे0 किता 2 रकवा 0.5358 हे. वादी शिवप्रकाश को व खसरा नम्बर 395/2 तरफ दक्षिण रकवा 0.5025 हे0 प्रतिवादी सं0 2 दीवानसिंह रहन **PNB** कठूमर 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 3 शिवदयाल रहन **PNB** कठूमर 1/3 हिस्सा प्रतिवादी सं0 1 हाकिमसिंह रहन **BRKGB** कठूमर 1/3 हिस्सा तथा खसरा नम्बर 189 रकवा 0.2500 हे. 388/1 तरफ उत्तर रकवा 0.2917 हे0 389 रकवा 0. 9600 हे. 409 रकवा 1.1100 हे0 448 रकवा 0.5300 हे0 453 रकवा 0.9100 हे. किता 6 रकवा 4.0517 हे0 प्रतिवादी सं0 2 दीवानसिंह रहन **PNB** कठूमर 1/11 हिस्सा प्रतिवादी सं0 3 शिवदयाल रहन **PNB** कठूमर 1/11 हिस्सा प्रतिवादी सं0 1 हाकिमसिंह रहन **BRKGB Kathumar** 1/11 हिस्सा प्रतिवादी सं0 5 महेन्द्र रहन **PNB** कठूमर 2/11 हिस्सा प्रतिवादी सं0 4 महेश रहन **PNB** कठूमर 6/11 हिस्सा वाके ग्राम भरीथल तहसील कठूमर तकसीम में दिये है तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट पर किसी पक्षकार ने कोई एतराज प्रस्तुत नहीं किया है।

अतः कुरेजात रिपोर्ट तहसीलदार कठूमर के अनुसार वाद वादी अंतिम रूप से डिकी किये जाने योग्य पाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

आदेश

अतः दावा वादी कुरेजात रिपोर्ट तहसीलदार कठूमर दिनांक 07.11.2022 के मुताविक अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 395/1 तरफ उत्तर रकवा 0.1675 हे. 388/2 तरफ दक्षिण रकवा 0.3683 हे0 किता 2 रकवा 0.5358 हे. वादी शिवप्रकाश को व खसरा नम्बर 395/2 तरफ दक्षिण रकवा 0.5025 हे0 में प्रतिवादी सं0 2 दीवानसिंह रहन **PNB** कठूमर 1/3 हिस्सा प्रतिवादी सं0 3 शिवदयाल रहन **PNB** कठूमर 1/3 हिस्सा प्रतिवादी सं0 1 हाकिमसिंह रहन **BRKGB** कठूमर 1/3 हिस्सा तथा खसरा नम्बर 189 रकवा 0.2500 हे. 388/1 तरफ उत्तर रकवा 0.2917 हे0 389 रकवा 0.9600 हे. 409 रकवा 1.1100 हे0 448 रकवा 0.5300 हे0 453 रकवा 0.9100 हे. किता 6 रकवा 4.0517 हे0 में प्रतिवादी सं0 2 दीवानसिंह रहन **PNB** कठूमर 1/11 हिस्सा प्रतिवादी सं0 3 शिवदयाल रहन **PNB** कठूमर 1/11 हिस्सा प्रतिवादी सं0 1 हाकिमसिंह रहन **BRKGB Kathumar** 1/11 हिस्सा प्रतिवादी सं0 5 महेन्द्र रहन **PNB** कठूमर 2/11 हिस्सा प्रतिवादी सं0 4 महेश रहन **PNB** कठूमर 6/11 हिस्सा वाके ग्राम भरीथल तहसील कठूमर तकसीम में दिये जाते है। तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में वादी एंव प्रतिवादीगण के हक हिस्सा व तकसीम में मिली आराजी वावत हाल राजस्व रेकार्ड में अलग अलग खाता कायम कर नक्शा ट्रेस में तरमीम करे। प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता कि वो वादी को तकसीम में दी गयी आराजी के कब्जे काश्त में किसी तरह की रूकावट व मजाहमत पैदा ना करे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

लाखनसिंह गुर्जर
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)
कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 24.04.2023 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

लाखनसिंह गुर्जर
उपखण्ड अधिकारी

पर्चा डिकी

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

वउनवान

1. शिवप्रकाश पुत्र गोपी जाति जाट निवासी भरीथल तहसील कठूमर जिला अलवर

------ डिकीदार

बनाम

1. हाकमसिंह पुत्र रोशन जाति जाट निवासी भरीथल
2. दीवानसिंह पुत्र रोशन जाति जाट निवासी भरीथल
3. शिवदयाल पुत्र रोशन जाति जाट निवासी भरीथल
4. महेश पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी भरीथल
5. महेन्द्र पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी भरीथल तहसील कठूमर जिला अलवर
6. उप पंजीयक कठूमर तहसील कठूमर जिला अलवर
7. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार कठूमर (लैण्ड होल्डर)

----- मदयूनान

दावा तकसीम व हुक्मइन्तनाई दवामी

अतः दावा वादी कुरेजात रिपोर्ट तहसीलदार कठूमर दिनांक 07.11.2022 के मुताविक अंतिम रूप से डिकी किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 395/1 तरफ उत्तर रकवा 0.1675 हे. 388/2 तरफ दक्षिण रकवा 0.3683 हे0 किता 2 रकवा 0.5358 हे. वादी शिवप्रकाश को व खसरा नम्बर 395/2 तरफ दक्षिण रकवा 0.5025 हे0 में प्रतिवादी सं0 2 दीवानसिंह रहन **PNB** कठूमर 1/3 हिस्सा प्रतिवादी सं0 3 शिवदयाल रहन **PNB** कठूमर 1/3 हिस्सा प्रतिवादी सं0 1 हाकिमसिंह रहन **BRKGB** कठूमर 1/3 हिस्सा तथा खसरा नम्बर 189 रकवा 0.2500 हे. 388/1 तरफ उत्तर रकवा

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

0.2917 हे0 389 रकवा 0.9600 हे. 409 रकवा 1.1100 हे0 448 रकवा 0.5300 हे0 453 रकवा 0.9100 हे. किता 6 रकवा 4.0517 हे0 में प्रतिवादी सं0 2 दीवानसिंह रहन **PNB** कठूमर 1/11 हिस्सा प्रतिवादी सं0 3 शिवदयाल रहन **PNB** कठूमर 1/11 हिस्सा प्रतिवादी सं0 1 हाकिमसिंह रहन **BRKGB Kathumar** 1/11 हिस्सा प्रतिवादी सं0 5 महेन्द्र रहन **PNB** कठूमर 2/11 हिस्सा प्रतिवादी सं0 4 महेश रहन **PNB** कठूमर 6/11 हिस्सा वाके ग्राम भरीथल तहसील कठूमर तकसीम में दिये जाते है। तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में वादी एंव प्रतिवादीगण के हक हिस्सा व तकसीम में मिली आराजी वावत हाल राजस्व रेकार्ड में अलग अलग खाता कायम कर उक्तानुसार नक्शा ट्रेस में तरमीम करें। प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता कि वो वादी को तकसीम में दी गयी आराजी के कब्जे काश्त में किसी तरह की रूकावट व मजाहमत पैदा ना करे।

आज दिनांक 24.04.2023 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से जारी की गई।

लाखनसिंह गुर्जर
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज0